From: Anwar Khicchi <anwarkhicchi54@gmail.com>
Date: 12 September 2019 at 11:24:31 PM IST
To: arvind@trai.gov.in

अध्यक्ष श्री. आर.एस. शर्माजी टेलीकॉम रेगुलेटरी
अथॉरिटी आफ इंडिया
जवाहर लाल नेहरू मार्ग
नई दिल्ली 110002

विषय (टैरिफ पर परामर्श पत्र संख्या: 10/2019, दिनांक 16 अगस्त 2019 से सम्बंधित)

महोदय
आप केबल टीवी बिज़नेस से अछी तरह से वाकिफ है . केबल टीवी उपभोक्ता एक मीडिल क्लास फैमिली होती है जिसका एकमात्र मनोरंजन का सस्ता साधन हो सकता है उस के लिए कुछ बदलाव करना आवश्यक है.

1. पे चैनल सभी अला कार्टे में उपलब्ध हो जिस के एमआरपी 5 ₹ से ज्यादा ना हो ।। DAS के पहले जिसे तरह CAS में प्रवधान था वैसे ..
2. ब्रॉडकास्टर अगर पैकेज बना कर अगर देना चाहता हो तो उस मे चैनल की संख्या निर्धारित की जाए और एमआरपी 20 ₹ से ज्यादा ना हो.. 3. ब्रॉडकास्टर एमआरपी प्राइस पे केबल ऑपरेटर का भी शेयरिंग फिक्स करे इस लिए के ओ ही कस्टमर को सर्विसेस देता है उस का उस मे सब से बड़ा योगदान है MSO सिर्फ सिग्नल प्रोवाइड करता है कस्टमर को सर्विस देना चैनल के बारे में जानकारी देना उसकी मार्किटिंग करना यह सब ओ ही करता है इस लिए उसका प्रवधान होना आवश्यक है केबल ऑपरेटर काफी तकिलफ में ।। MSO 20%डिस्काउंट में से 10% देता है पर इस से कुछ नही होता उसका खर्चा बहोत ज्यादा है यह सब से इम्पोर्टन है केबल ऑपरेटर रहेंगे तो ही केबल टीवी सर्विस रहेंगी ।।।
4. ब्रॉडकास्टर द्वारा एमआरपी पे दी जा रही छूट होनी नही चाहिए अगर होती है तो उस का फायदा कस्टमर और कैबल ऑपरेटर को भी हो ..
5.100 चैनल फ्री टू एयर नेट वर्क कैपेसिटी फी ₹ 130 ये कैबल ऑपरेटर को मिलनी चाहिए ।। यह उस का अधिकार है ।। MSO कैरिज फी प्लेसमेंट फी और बहोत कुछ आपने पास रखता है इस लिए केबल ऑपरेटर का अधिकार हो ।। उस ही तरह से NCF में DTH MSO किसी को भी छूट देने का अधिकार नही होना चाहिए ।।
6. उस ही तरह से दूसरे NCF भी 50 चैनल पे ₹ 20 होने चाहिए और 2 NCF से ज्यादा ना हो .
7. कस्टमर एप्पलीकेशन फॉर्म । MSO कस्टमर की पुरी जानकारी ले लेता है जिस में मोबाइल नंबर भी होता है यह सारी डिटेल किसी और के पास भी जाती है और कस्टमर को मार्किटिंग के कॉल आने शुरू हो जाते है ।। इस पर भी कोई ऐसा परविधान होना चाहिये के जिस से कस्टमर की प्राइवेसी बनी रहे . उस की जानकारी सुरक्षित रहे यह होना भी आवश्यक है..
8. सेट टॉप बॉक्स की सर्विस क्वालिटी यह भी आछी होनी चाहिए। थर्ड पार्टी जो mso अपॉइंटमेंट करते हैं ओ कैबल ऑपरेटर के साथ मील कर सेट टॉप बॉक्स में अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं MSO डिपॉजिट के एवज में 350 से 400 ₹ में दे रहा और यह लोग 1200 से 1500 में देते है 5 से 6 मंथ बाद खराब होने पे सर्विस भी नही देते।. 9. CAS रूल रेगुलेशन जैसा कुछ हो तो कस्टमर का फायदा होंगा.
10 .कस्टमर को हो सके उतना सस्ता देने की कोशिश होनी चाहिए इस के लिये मोनोपोली लागू होती है तो भी बहोत से फायदा होंगा कॉम्पटीशन में हर कोई सस्ते में देंगा सर्विस।।।
कस्टमर को आपने मनमुताबिक सस्ते दामों में मनोरंजन उपलब्ध हो सकता है।।।।

इस बात पे विचार कर के कोई निर्णय ले और DAS एक्ट में हो सके तो बदलाव करने की कोशिश करे।

धन्यवाद।

अनवर भाई खिच्ची
सोना केबल नेटवर्क माहुर जी. नांदेड़ महाराष्ट्र 431721
मोबाइल : 9423030081

Subject: **[No subject]**
To: vk.agarwal@trai.gov.in

Date: 09/12/19 10:55 PM
From: Anwar Khicchi <anwarkhicchi54@gmail.com>

सेवा में ,चेयरमैन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी आफ इंडिया
जवाहर लाल नेहरू मार्ग
नई दिल्ली 110002

विषय (टैरिफ पर परामर्श पत्र संख्या: 10/2019, दिनांक 16 अगस्त 2019 से सम्बंधित)

महोदय,
परामर्श पत्र संख्या: 10/2019, दिनांक 16 अगस्त 2019 द्वारा मांगे गए सुझाव ।

जैसा कि आप जानते हैं कि केबल टीवी आम उपभोक्ताओं के लिए सूचना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी हासिल करने का एकमात्र सस्ता साधन था
जो आठवे टैरिफ के लागू होने के पश्चात कुछ ब्रॉडकास्टर्स ने उसे आम उपभोक्ताओं के लिए केबल टी वी महंगा व टैरिफ का फायदा लेना कठिन कर दिया।

किसी बुके/पैकेज में शामिल चेनल्स के कुल मूल्य पर बुके/पैकेज के मूल्य पर छूट की अधिकतम सीमा (कैप) न होने से जिस प्रकार अनुचित तरीके से नाजायज फायदा कुछ ब्रॉडकास्टर्स द्वारा उठाया गया है उसे देखते हुए इस अधिकतम छूट (कैप) को 15% से घटाकर 10% कर देना ही उचित होगा जिससे उपभोक्ताओं को अगर पैकेज की जगह अलग अलग स्वतन्त्र रूप से चेनल्स लेने हो तो उन्हें चुनने में सहूलियत मिलेगी।

अगर छूट की अधिकतम सीमा लागू हुई होती तो उपभोक्ता अपने उसी बजट(मनोरंजन पर महीने में खर्च करने बाली रकम) में ज्यादा ब्रॉडकास्टर के चैनल ले सकता था

क्योकि ब्रॉडकास्टर्स के द्वारा DPO (mso+lco) को पे चेनल्स पर दिया जाने बाला 20% बहुत ही कम है इस 20% में से mso व lco दोनों को आपस मे बाँटना है जिससे lco को बहुत ही कम नाम मात्र का राजस्व मिल रहा है
उदाहरण के लिए अगर किसी
चैनल मूल्य 10.00 रुपये
कुल DPO Fee 20% = 2.00 रु
Lco मार्जिन 20%में 45%=90 पैसे
यह बिल्कुल ही अमान्य है।

अगर आपके 15 मार्च 2016 के the telecommunication(Broadcasting and cable services) interconnection (Digital addressable cable television systems) (seventh amendment regulation, 2016 (no. 3 of 2016) के क्लॉज
12. Revenue settlement between the MSO and LCO ko and related rights and obligations
के
12.1 (d) the charges collected from the subscription of channels or bouquet of channels or channal and bouquet of channel other than those specified under clause (a) shall be shared in the ratio of 65:35 between the mso and the lco respectively.
के अनुसार गणना करें तो।
चैंनल मूल्य अगर = 10.00 रुपये
Mso 65%. = 6.50
Lco 35% = 3.50

जबकि mso मिलने बाले 65% में से ही ब्रॉडकास्टर की चैनल का मूल्य देता।

अतः बड़े अफसोस कि व सोचने की बात है कि आठवें टैरिफ के बाद lco को 10 रुपये कीमत के चैनल से मात्र 90 पैसे मिल रहे हैं जबकि पहले उसी 10 रुपये कीमत के चैनल से 3.5 रुपये मिलते थे। इस प्रकार मात्र 90 पैसे पर lco किस प्रकार कार्य करे।
अतः 20% की सीमा को बढ़ाना अति आवश्यक है। यह इस प्रकार हो कि lco को चैनल/बुके के मूल्य का कम से कम 35%राजस्व प्राप्त हो। अर्थात Dpo फी 60%(45:15 lco:mso) हो जिसमें से 45% lco व 15% mso को मिलना चाहिए

बर्तमान में NCF 130 रुपये व NCF पर बर्तमान में जो नियम हैं वह भी उचित नहीं हैं , NCF पे सिर्फ LCO का अधिकार होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
यदि इसको MSO एवं LCO में बांटा भी जाये तो mso व lco की रैवेन्यू हिस्सेदार अनिवार्य रूप से 10:90 के अनुपात में होनी चाहिए।
10% mso व 90% lco क्योकि mso को कैरिज फी,प्लेसमेंट फी,लेंडिंग पेज एग्रीमेंट आदि और भी अन्य के द्वारा आय होती है जबकि lco मात्र ncf के हिस्सेदारी पर निर्भर है उसके ख़र्चे उसी में से हैं

सबसे महत्वपूर्ण विषय पर प्राधिकरण का ध्यान ही नहीं गया है जबकि उस उस विषय पर ध्यान पूर्ब में ही दिया जाना आवश्यक था।
जब आठवें टैरिफ के अनुसार कोई भी PAY/FTA चैनल सभी डिस्ट्रीव्यूशन प्लेटफार्म के लिए समान रूप से PAY/FTA रहेगा।
तब फिर कुछ ब्रॉडकास्टर्स अपने PAY चेनल्स को DTH (जैसे DD FREE DISH) से न तो वह चेनल्स का मूल्य ले रहे है बलिक पैसे देकर (स्लॉट लेकर) चेनल चला कर नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। और प्राधिकरण ने उनके खिलाफ कोई कार्यवाही अभी तक नहीं की है।
जो ब्रॉडकास्टर्स DTH (जैसे DD फ्री डिस) पर अपने चेनल्स प्रसारित कर रहे हैं उन्हें आदेशित किया जाना चाहिए कि वे उन चैनल्स को FTA घोषित करें अन्यथा DTH (जैसे DD फ्री डिस)पर उन चेनल्स का प्रसारण तुरन्त प्रभाव से बन्द करें।
जिससे नियमों का उलंघन बन्द हो।
यहां पर यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि हमारी आपत्ति DD फ्री डिस की फ्री उपभोक्ताओं को उपलब्ध होने पर नहीं है।

बल्कि हमारी आपत्ति प्रसारकों (ब्रॉडकास्टर्स) द्वारा DTH (जैसे DD फ्री डिस) को फ्री में pay चैनल्स उपलब्ध कराने के साथ साथ चैनल चलाने के लिए भुगतान करने से है।

धन्यवाद

सोना केबल नेटवर्क
वाई बाजार ता. माहुर जी. नांदेड़ महाराष्ट्र 431721
मोबाईल : 9423030081

□□□□